

24/3/25

फावली केरा हुई। वकील अयापिका उपर्युक्त।
 कहल जे फा प/स 212 RT Act के परिपेक्ष्य
 में परावली का अवलोकन। ग्राम साणपुरा की
 वास्तव शांती की जमाबंदी संवत् 2074-77,
 वास्तव ग्राम के खसका नक्शा, राजस्व सीमा की
 सीमांतान रिपोर्ट दिनांक 10/07/2021, राजस्व
 निष्पन्न पत्र दिनांक 30/6/2021 एवं 02/01/2019
 तथा राजस्व सीमा की मौका दिनांक 24/06/2021
 काही का अवलोकन किया गया। प्राथमिक खण्ड
 317/307 खसका 0.0759 हेर की रिकॉर्ड ~~खसका~~
 है जबकि अप्राथमिक क्रम 1 खण्ड 316/307 खसका 0.26
 हेर का तथा अप्राथमिक क्रम 2 व 3 खण्ड 306/56
 खसका 0.2529 हेर की recorded खातेदारान है।
 मुख्य विवाद खण्ड 317/307 के दाखिली-पूर्व भाग
 जेना जो अप्राथमिक क्रम के खण्ड 316/307 के ~~खसका~~
 उत्तरी-पश्चिमी कोने से लगा हुआ है, के सीमा घर
 कच्चे की लेकर है। प्राथमिक का कथन है कि
 अप्राथमिक क्रम 1 कच्चा करने पर कामका है जबकि अप्राथमिक
 क्रम 1 का कथन है कि उसने कोई कच्चा नहीं
 किया है बल्कि खसका की भूमि पर ही खसका है।
 वास्तव भूमि का राजस्व सीमा द्वारा जो कर
 दिनांक 10/7/2021 व 24/6/2021 की सीमांतान
 कर जेनी पत्रों की सीमा की निबानडेही बतार्द
 गई लेकिन प्राथमिक उक्त सीमांतानों से सन्तुष्ट
 नहीं है। राजस्व सीमा ने रिपोर्ट में अंकित किया
 है कि "प्राथमिक के पति मुख्य लउक खण्ड 54 से
 राफिलेरी के कार्यरत अनुसार सीमांतान दर्शाना चाहता
 है जो निष्पानुसार संभव नहीं है" राजस्व सीमा
 तथा फकिमानुसार लहा नकशों में दर्ज किया खाई मुस्तकी
 पॉइंट की आधार मानकर सीमांतान करती है, ना कि
 किसी डामर लउक के मध्य बिंदु को आधार मानकर
 सीमांतान कर सकती है। अतः प्रकरण प्रथम हुआ।




तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर वः
अहकाम
हुकम की
में जां

प्राथम्य के पक्ष से साबित नहीं होता है।
 2. एक प्रकार के साक्ष्य के अभाव में कानून के सिद्धांतों के अभाव में साबित नहीं है।
 3. विधायक द्वारा कानून के अभाव में साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 4. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 5. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 6. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 7. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 8. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 9. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।
 10. साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व विभाजन के आधार पर प्राथम्य का अभाव पक्ष से साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।
 प्राथम्य के अभाव में साबित नहीं है।


 24/3/25

उपखण्ड अधिकारी
 पिडवा, जिला झालावाड़ (सज०)

